SBI भारतीय स्टेट बैंक
आर.ए.सी.पी.सी.- सेक्टर बी, निकट राम राम बैंक चौराहा, अलीगंज, लखनऊ

कब्जा नोटिस (अचल सम्पत्ति)

यद्यपि प्राधिकृत अधिकारी **भारतीय स्टेट बैंक, आर.ए.सी.पी. सी.** द्वारा वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण व पुनः संरचना तथा प्रतिभूति हित का प्रभावीकरण अधिनियम, 2002 के अन्तर्गत प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) अधिनियम, 2002 की धारा-13(12) के सहपठित नियम 3 के अन्तर्गत निम्नलिखित खातेदार को उनके सम्मुख अंकित तिथि को नोटिस जारी कर उनसे 60 दिनों के अन्दर नोटिस में वर्णित राशि तथा ब्याज व अन्य खर्चों सहित अदा करने की मांग की थी।

ऋणी द्वारा राशि का भुगतान करने में विफल रहने के कारण ऋणी/जमानतदारों और जनसाधारण को सूचना दी जाती है कि प्राधिकृत अधिकारी द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 13(4) के सहपठित नियम 8 के अन्तर्गत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्न वर्णित खातों में बंधक सम्पत्ति का उनके सम्मुख अंकित तिथि को कब्जा प्राप्त कर लिया है।

ऋणी/जमानतदारों को विशेष रूप से और आम जनता को सामान्य रूप से चेतावनी दी जाती है कि वे इस सम्पत्ति के सम्बंध में किसी भी प्रकार का सौदा/व्यवहार **भारतीय स्टेट बैंक, आर.ए.सी.पी. सी.** के अतिरिक्त किसी अन्य से न करें। ऐसा कोई भी सौदा व्यवहार **भारतीय स्टेट बैंक** को देय राशि व तत्सम्बंधित ब्याज, जैसा कि खाते में उल्लिखित किया गया है, के अधीन हो। सम्पत्तियों का विवरण जिसका कब्जा लिया गया है :-

क्र. सं.	ऋण-ग्रहिता का नाम एवं पता/ खाता संख्या/शाखा	बंधक अचल सम्पत्ति का विवरण	बकाया धनराशि 13(2) के अनुसार	मांग सूचना की तिथि / कब्जा तिथि
1.	**ऋणी का नाम:** श्री राजीव सिंह (स्वामी) पुत्र श्री गुरु बचन सिंह, द्वितीय तल, फ्लैट सं. 303, चंद्रकला मेंशन, म. सं. बी-142, निराला नगर, लखनऊ, उ.प्र., पिन-226005 **खाता सं.:** 61257848635 **शाखा :** कपूरथला कॉम्प्लेक्स शाखा (70603)	श्री राजीव सिंह (स्वामी) पुत्र श्री गुरु बचन सिंह **(स्वामी)** संपत्ति के समस्त भाग व हिस्से निहित द्वितीय तल, फ्लैट सं. 303, चंद्रकला मेंशन, म. सं. बी-142, निराला नगर, लखनऊ **(क्षेत्रफल: 86.40 वर्ग मी.)** **चौहद्दी- उत्तर :** गैलरी और सीढ़ियाँ **दक्षिण :** खुला आकाश **पूर्व :** खुला आकाश **पश्चिम :** फ्लैट संख्या 304	**रु. 21,80,606/-** दिनांक 06.05.2024 तक + ब्याज व अन्य खर्चे	**06.05.2024** / **10.07.2024**

दिनांक : 10.07.2024 स्थान : लखनऊ **प्राधिकृत अधिकारी, भारतीय स्टेट बैंक**

गृहम हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड

(पूर्व में पूनावाला हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के नाम से जाना जाता था)
पंजीकृत कार्यालयः 602, 6वीं मंजिल, जीरो वन आईटी पार्क, एसआरनंबर 79/1, घोरपडी, मुंडवारोड, पुणे- 411036

DEMAND NOTICE UNDER SECTION 13(2) OF THE SARFAESI ACT,2002 सरफेसी अधिनियम, 2002 की धारा 13(2) के तहत मांग सूचना

आपने नीचे उल्लिखित उधारकर्ताओं/सह-उधारकर्ताओं/गारंटरों ने अपनी संपत्ति गिरवी रखकर गृह ऋण/संपत्ति सुविधा (ओं) का लाभ उठाया है। गृहम हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड (जिसे पहले पूनावाला हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के नाम से जाना जाता था) की अचल संपत्ति हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड 17 नवंबर 2023 से गृहम हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड में बदल गया (पहले इसे मैग्मा हाउसिंग फाइनेंस के नाम से जाना जाता था)लिमिटेड और मूल रूप से जीई मनी हाउसिंग फाइनेंस पब्लिक अनलिमिटेड कंपनी के नाम से निगमित) को इसके बाद सुरक्षित ऋणदाता के रूप में संदर्भित किया गया है। . आपने द्वारा पुनर्भुगतान में चूक की है और इसलिए, आपके ऋण को गैर-निष्पादित परिसंपत्तियों के रूप में वर्गीकृत किया गया था। प्रतिभूतिकरण की धारा 13(2) के तहत एक मांग नोटिस और वित्तीय परिसंपत्ति का पुनर्निर्माण और सुरक्षा हित का प्रवर्तन अधिनियम 2002 के तहत बकाया राशि की वसूली के लिए पिछली बार भेजा गया था। हालाँकि ज्ञात पते बिना सेवा के वापस आ गए हैं। अतः धारा 13(2) के अनुसार सुरक्षा हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 3(1) के साथ पठित अधिनियम आपके लिए वैकल्पिक सेवा के माध्यम से प्रकाशित की जा रही है।
उधारकर्ताओं, सह-उधारकर्ताओं, गारंटरों, प्रतिभूतियों, बकाया देय राशि, धारा 13(2) के तहत भेजे गए डिमांड नोटिस और दावा की गई राशि का विवरण यहां नीचे इस प्रकार दिया गया है।

क्रं. सं.	उधारकर्ता सह-उधारकर्ता, गारंटर का नाम, और उधार की राशि	सुरक्षित संपत्ति का विवरण	मांग सूचना की तिथि	मांग सूचना मे राशि (रुपये)
1	बसु देव, शशि, रामरति देशराज ऋण राशिः रु. 735000/- ऋण संख्याः एचएफ/0043/एच/19/100127	प्लॉट संख्या 10 का वह पूरा हिस्सा, जिसका क्षेत्रफल 65.055 वर्ग मीटर है, खसरा संख्या 720 का हिस्सा है, जो ग्राम-सलेमपुर पटौरा, परगना, तहसील और जिला लखनऊ में स्थित है, जिसकी सीमा निम्नानुसार है (बिक्री विलेख के अनुसार): पूर्व में 20 फीट चौड़ी सड़क, पश्चिम में प्लॉट संख्या 16, उत्तर में प्लॉट संख्या 11, दक्षिण में प्लॉट संख्या 10 का शेष भाग	09/07/2024	रु. 787316 (सात लाख सतासी हजार तीन सौ सोलह रुपये मात्र) साथ में पुनर्भुगतान तक 15 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से अतिरिक्त ब्याज।
2	शिव कुमार, रीना देवी ऋण राशिः रु. 1280000/- ऋण संख्याः HF/0044/H/19/100133	आराजी संख्या 2237 के भाग का वह पूरा टुकड़ा और पार्सल, बिक्री - कोहरार, परगना- खैरागढ़ और तहसील - सारणी इलाहाबाद क्षेत्रफल-148.64 वर्ग मीटर बिक्री विलेख के अनुसार सीमाएँ निम्नानुसार हैं: पूर्व - आराजी का भाग पश्चिम 30 फिट रोड आराजी का उत्तर भाग आराजी का दक्षिण भाग	09/07/2024	रु. 1384780 (रुपये तेरह लाख चौरासी हजार सात सौ अस्सी मात्र) साथ में पुनर्भुगतान तक 16 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से अतिरिक्त ब्याज।
3	आकाश मालवीय, आकांक्षा मालवीय ऋण राशिः रु. 1970000/- ऋण संख्याः HF/0044/H/21/100164	आराजी संख्या 139, मौजा-कैरालबाग, परगना एवं तहसील-सदर प्रयागराज, कुल क्षेत्रफल-112.0 वर्ग मीटर का वह पूरा टुकड़ा और पार्सल जो इस प्रकार घिरा हुआ है:- पूर्वः मोहम्मद हसीन खान का प्लॉट पश्चिमः आराजी का शेष भाग उत्तरः 15 फिट रोड दक्षिणः आराजी का शेष भाग	09/07/2024	रु. 2123467 (रुपये इक्कीस लाख तेईस हजार चार सौ सड़सठ मात्र) साथ में पुनर्भुगतान तक 15.5 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से अतिरिक्त ब्याज।
4	अरविंद किशोरीलाल विश्वकर्मा, हीरा लाल, सूरज कुमार, गायत्री देवी, किशोरी लाल ऋण राशिः रु. 1150000/- ऋण संख्याः एचएफ/0055/एच/21/100127	पुरानी आराजी नं.4053, नई आराजी नं.3528 का पूरा टुकड़ा, क्षेत्रफल 1305 वर्ग फीट यानि 121.28 वर्ग मीटर, मौजा कठिराव परगना पंद्राह, तहसील और जिला वाराणसी में स्थित है और सीमा बिक्री विलेख के अनुसार है। पूर्व:- कठिराव कुआर मार्ग पश्चिमः- खेत जयराम पटेल (आराजी विक्रेता का शेष भाग)। उत्तरः- मकान रामदुलार पटेल। दक्षिणः- मकान माणिकलाल विश्वकर्मा।	09/07/2024	रु. 1234234 (बारह लाख चौंतीस हजार दो सौ चौंतीस रुपये मात्र) साथ में पुनर्भुगतान तक 18 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से अतिरिक्त ब्याज।
5	अशोक कुमार शुक्ला, गीतिका शुक्ला, संतोष कुमार शुक्ला ऋण राशिः रु. 1680000/- ऋण संख्याः एचएफ/0055/एच/21/100266	चक संख्या 219 आराजी नं. 172 का पूरा टुकड़ा. क्षेत्रफल 2040 वर्ग फीट. और आराजी नं. 173 का क्षेत्रफल 2720 वर्ग फीट. कुल क्षेत्रफल 4760 वर्ग फीट. 442 379 वर्ग मीटर भूतल पर. क्षेत्रफल 160.4 समत. मौजा टिकरी परगना देहात अमनात तहसील सदर जिला वाराणसी में स्थित है और भूखंड की सीमाएंः- पूर्वः कच्चा रास्ता 10 फीट चौड़ा. पश्चिमः शांति देवी की भूमि. उत्तरः - संतोष शुक्ला की भूमि और सीमा. दक्षिणः अखिलेश्वर प्रसाद सिंह की भूमि	09/07/2024	रु. 1832567 (अठारह लाख बत्तीस हजार पांच सौ सड़सठ रुपये मात्र) साथ में पुनर्भुगतान तक 16.5 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से अतिरिक्त ब्याज।
6	विनोद कुमार बिश- वाकर्मा, माधुरी देवी ऋण राशिः रु.974400/- ऋण संख्याः HF/0055/H/21/100665	पुरानी आराजी संख्या 439 आराजी संख्या 333 का वह पूरा टुकड़ा क्षेत्रफल 917 वर्ग फीट यानि 85.22 वर्ग मीटर मौजा बबुरी परगना मझवार तहसील चंदौली जिला चंदौली में स्थित है। और भूखंड की सीमाएं पूर्वः रेखा पांडे की भूमि पश्चिमः रेखा पांडे की भूमि उत्तरः कच्चा रास्ता 15 फीट चौड़ा दक्षिणः विद्यावती देवी की भूमि	09/07/2024	रु. 1066519 (दस लाख छियासठ हजार पांच सौ उन्नीस रुपये मात्र) साथ में पुनर्भुगतान तक 16.25 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से अतिरिक्त ब्याज।
7	मोहम्मद इरफान, मुस्कान इरफान ऋण राशिः रु.1015000/- ऋण संख्याः HF/0094/H/21/100392	प्लाट संख्या 168 की संपत्ति का वह हिस्सा जिसका क्षेत्रफल 107.48 वर्ग मीटर है, राहुल नगर कॉलोनी, मौजा बोदला, लोहामंडी वार्ड, आगरा में स्थित है। प्लाट की सीमाः पूर्वः रास्ता 20 फीट चौड़ा पश्चिमः - शरीफुद्दीन की संपत्ति उत्तरः - प्लाट संख्या 167 दक्षिणः रास्ता 20 फीट चौड़ा	9/07/2024	रु. 1096905 (दस लाख छियानवे हजार नौ सौ पांच रुपये मात्र) साथ में पुनर्भुगतान तक 15 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से अतिरिक्त ब्याज।
8	कपिल जैन, बबीता जैन ऋण राशिः रु.1796000/- ऋण संख्याः HF/0221/H/21/100057	आराजी नं. 412 का एक आवासीय प्लॉट का पूरा टुकड़ा और पार्सल कुल क्षेत्रफल 1000 वर्ग फीट यानी 92.93 वर्ग मीटर मौजा करगुवा झांसी में स्थित है। और प्लॉट/मकान की सीमाएं: पूर्व- प्लॉट नं. 1 और 2 पश्चिम- प्लॉट नं. 4 विक्रेता उत्तर रोड 30 फीट दक्षिण- विक्रेता की जमीन	09/07/2024	रु. 1930548 (रुपये उन्नीस लाख तीस हजार पांच सौ अड़तालीस मात्र) साथ में पुनर्भुगतान तक 15.5 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से अतिरिक्त ब्याज।
9	मोहम्मद हनीफ, खुशनुमा, मोहम्मद रईस ऋण राशिः रु.1200000/- ऋण संख्याः HF/0392/H/21/100121	प्लॉट के हिस्से का वह सारा टुकड़ा जो आराजी नं. 38 मौजा कटारी पीपरखेड़ा परगना हड़हा तहसील और जिला उन्नाव यू.पी. क्षेत्रफल 500 वर्ग फीट पिन कोड- 209861 के भाग पर स्थित है, इसकी सीमाएं हैं:- पूर्वः- प्लॉट शाहीन बेगम, पश्चिमः- 20 फीट चौड़ी सड़क, उत्तरः- मतलूब के प्लॉट का हिस्सा, दक्षिणः- अन्य प्लॉट।	09/07/2024	रु. 1275339 (रुपये बारह लाख पचहत्तर हजार तीन सौ उनचालीस मात्र) साथ में पुनर्भुगतान तक 15 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से अतिरिक्त ब्याज।
10	हरि सिंह, राधा ऋण राशिः रु.686000/- ऋण संख्याः HF/0398/H/20/100050	आवासीय भवन का वह पूरा टुकड़ा, नगरपालिका क्रमांक 9 मौजा रेहना, शहर और जिला फिरोजाबाद में स्थित है और निम्नानुसार मापा गया है:- सीमा माप पूर्व- रास्ता 10 फीट 12 फीट, पश्चिम- संपत्ति अन्य 12 फीट, उत्तर- कमलेश का मकान 50 फीट, दक्षिण- मुलायम सिंह का मकान 50 फीट कुल क्षेत्रफलः- 600 वर्ग फीट।	09/07/2024	रु. 766289 (सात लाख छियासठ हजार दो सौ नवसी मात्र) साथ में पुनर्भुगतान तक 15.5 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से अतिरिक्त ब्याज।
11	कमल प्रताप सिंह, अनीता कुमारी ऋण राशिः रु.500000/- ऋण संख्याः HF/0398/H/21/100053	संपत्ति की भूमि का वह पूरा टुकड़ा और पार्सल जिसका क्षेत्रफल 200 वर्ग फीट (1.8.6 वर्ग मीटर) है, मौजा सुखमलपुर निजामाबाद मौसूमा मोहल्ला नगला करन सिंह में गाटा संख्या 330 तहसील और जिला फिरोजाबाद के अंतर्गत स्थित है। संपत्ति की सीमाएं पूर्वः- गली रास्ता 8 फीट और माप 5 फीट पश्चिमः- प्लॉट पूरन देवी और माप 5 फीट उत्तरः- क्रेता श्रीमती अनीता कुमारी का मकान और माप 40 फीट दक्षिणः- मकान मनोज और अन्य और माप 40 फीट	09/07/2024	514292 रुपये (पांच लाख चौदह हजार दो सौ बानबें रुपये मात्र) साथ में पुनर्भुगतान तक 16.5 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से अतिरिक्त ब्याज।
12	सत्यम, आनंद कुमार दीक्षित, सुषमा देवी, ऋषि ऋण राशिः रु.418448/- ऋण संख्याः HF/0596/H/21/100177	निजी भूखंड संख्या 6 का वह पूरा टुकड़ा जो आराजी संख्या 395खा गांव शेरपुर तरौंदा तहसील अकबरपुर जिला कानपुर देहात के हिस्से में स्थित है, जिसका क्षेत्रफल 55.75 वर्ग मीटर है। एटीएस के अनुसार सीमाएं: पूर्वः निजी भूखंड संख्या 05 पश्चिमः निजी भूखंड संख्या 07, उत्तरः 10 फीट रोड, दक्षिणः अन्य भूमि	09/07/2024	रु. 469645 (रुपये चार लाख उनसठ हजार छह सौ पैंतालीस मात्र) साथ में पुनर्भुगतान तक 14 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से अतिरिक्त ब्याज।
13	प्रमोद कुमार पटेल, आमोद कुमार पटेल, मीरा देवी ऋण राशिः रु.1020000/- ऋण संख्याः HL/0055/H/20/100007	आराजी संख्या 661 (पुराना नंबर 147/5मिनट, 148/3मिनट, 148/4मिनट, 149/1मिनट) का पूरा टुकड़ा, क्षेत्रफल 4080 वर्ग फीट, मौजा परमानंदपुर, परगना शिवपुर, तहसील और जिला वाराणसी में स्थित, निम्नानुसार घिरा हुआ: पूर्वः रास्ता पश्चिमः शेष भाग उत्तरः रास्ता टी/ए कन्हैया लाल पटेल की भूमि दक्षिणः जगवंता, छोटे और अन्य की भूमि।	09/07/2024	रु. 1116723 (ग्यारह लाख सोलह हजार सात सौ तेईस रुपये मात्र) साथ में पुनर्भुगतान तक 16 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से अतिरिक्त ब्याज।
14	अली मोहम्मद, यास्मीन ऋण राशिः रु.2072000/- ऋण संख्याः HM/0100/H/18/100024	खसरा नं. 267 मिन, प्लॉट नं.-3 गांव सराय कस्बा जैदी (फरीदपुर) तहसील फरीदपुर जिला बरेली पार, और जिला फरेली तहसील फरीदपुर का वह पूरा टुकड़ा और पार्सल जिसका क्षेत्रफल 151.11 वर्ग मीटर है) और इसकी सीमाएं निम्नानुसार हैंरु पूर्व- आराजी विक्रेता पश्चिम- प्लॉट सादिक उत्तर- रोड (एन. एच) दक्षिणः मोह.खुर्शीद का प्लॉट	09/07/2024	रु. 2321948 (रुपये तेईस लाख इक्कीस हजार नौ सौ अड़तालीस मात्र) साथ में पुनर्भुगतान तक 14.5 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से अतिरिक्त ब्याज।
15	मोहम्मद अली, मुनीजा, कैसर अली ऋण राशिः रु.1300000/- ऋण संख्याः HM/0100/H/18/100235	खसरा नं. 191,192,193 नगरिया परीक्षित पर. तहसील एवं जिला बरेली के भाग का वह समस्त टुकड़ा एवं पार्सल जिसका क्षेत्रफल 313.54 वर्ग मीटर है, तथा इसकी सीमाएं निम्न प्रकार हैं पूर्वः रास्ता 15 फिट चौड़ा पश्चिमः आराजी गुप्ता जी उत्तरः रास्ता एवं आराजी अन्य दक्षिणःएम.पी. सिंह का प्लॉट	09/07/2024	रु. 1530753 (पंद्रह लाख तीस हजार सात सौ तिरपन मात्र) साथ में पुनर्भुगतान तक 18 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से अतिरिक्त ब्याज।
16	इरशाद अली, नगीना ऋण राशिः रु. 1473000/- ऋण संख्याः HL00044100000005010817	आराजी संख्या 47/1मी, मौजा चकराना तिवारी, परगना-अरैल, तहसील-करछना, प्रयागराज, का वह पूरा टुकड़ा और पार्सल जिसका क्षेत्रफल 1076.0 वर्ग फीट या 100.43 वर्ग मीटर है, जो निम्न प्रकार से घिरा हुआ है: पूर्व- अन्य का प्लॉट पश्चिम- नवीन का प्लॉट उत्तर15 फिट रोड दक्षिणः अन्य का प्लॉट	09/07/2024	रु. 1573748 (पंद्रह लाख तिहत्तर हजार सात सौ अड़तालीस मात्र) साथ में पुनर्भुगतान तक 14.75 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से अतिरिक्त ब्याज।
17	चमन पत्नी मोहम्मद राशिद, मोहम्मद लारैब ऋण राशिः रु. 1090500/- ऋण संख्याः HL00604100000005007429	आवासीय भूखंड का वह पूरा टुकड़ा और पार्सल खसरा संख्या 662 क्षेत्रफल 67. 58 वर्ग मीटर, ग्राम रसूलपुर नगला खमे मुरादाबाद में स्थित है	09/07/2024	रु. 1171935 (ग्यारह लाख इकहत्तर हजार नौ सौ पैंतीस रुपये मात्र) साथ में पुनर्भुगतान तक 16.5 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से अतिरिक्त ब्याज।
18	विपुल कुमार, शिखा अग्रवाल ऋण राशिः रु.1200000/- ऋण संख्याः HL00604100000005009691	वह सारा टुकड़ा और पार्सल आवासीय भूखंड खसरा संख्या 268/201 क्षेत्रफल 35.00 वर्ग मीटर मोज्जा देहरी एहतमाली मोहल्ला सूरज नगर मुरादाबाद में स्थित है	09/07/2024	रु. 1245146 (बारह लाख पैंतालीस हजार एक सौ छियालीस रुपये मात्र) साथ में पुनर्भुगतान तक 10.7 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से अतिरिक्त ब्याज।
19	रौशन कुमार सिंह, गुरिया कुमारी ऋण राशिः रु.3375000/- ऋण संख्याः HL00630100000005006071	वह सारा टुकड़ा और पार्सल मकान नंबर बी-529 सेक्टर-बी, राजाजीपुरम, वार्ड- राजाजीपुरम, तहसील और जिला-लखनऊ में स्थित है। और प्लॉट की सीमाएं पूर्वः - मकान नंबर बी-523 पश्चिमः-16 फीट चौड़ी सड़क उत्तरः मकान नंबर बी-527 दक्षिणः- मकान नंबर बी-531 माप क्षेत्ररू-49.30 वर्ग मीटर।	09/07/2024	रु. 3460590 (रुपये चौंतीस लाख साठ हजार पांच सौ नब्बे मात्र) साथ में पुनर्भुगतान तक 13.5 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से अतिरिक्त ब्याज।
20	हवलदार, रजिया बानो ऋण राशिः रु.1500000/- ऋण संख्याः LAP06032000000005015508	वह सारा सामान और पार्सल गाटा संख्या - 82, क्षेत्रफल (4357.8 वर्ग फीट) स्थितः न्योदर परगना महादेवा तहसील तरबगंज जिलाः गोंडा। संपत्ति की सीमाएं पूर्वः चक अखलाख अहमद पश्चिमः चक सत्तार उत्तरः चक राम लखन दक्षिणः खड़ंजा मार्ग	09/07/2024	रु. 1595618 (पंद्रह लाख पंचानबे हजार छह सौ अठारह रुपए मात्र) साथ में पुनर्भुगतान तक 17 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से अतिरिक्त ब्याज।
21	सचिन कुमार शर्मा, रुद्रेश कुमार, रेखा शर्मा ऋण राशिः रु.580000/- ऋण संख्याः HF/0540/H/21/100026	दुकान का वह पूरा टुकड़ा और पार्सल जो उत्तर दिशा की ओर है, इसकी छत के सभी अधिकार सहित, माप 8.88 वर्ग गज, खं. संख्या 92 से संबंधित, मोहम्मदपुर माफी दर आबादी पश्चिम पंत विहार सहारनपुर में स्थित, नीचे दिए अनुसार घिरा हुआ है - पूर्व- श्रीमती रेणुका राय की दुकान, पश्चिम- अन्य व्यक्ति की दुकान, उत्तर- रास्ता 25 फीट चौड़ा दक्षिण- अन्य व्यक्ति की संपत्ति	09/07/2024	518660 रुपये (पांच लाख अठारह हजार छह सौ साठ रुपये मात्र) साथ में पुनर्भुगतान तक 16.5 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से अतिरिक्त ब्याज।
22	प्रवेश कुमार, गीता ऋण राशिः रु. 428000/- ऋण संख्याः LAP05402000000005010125	वह सारा सामान और पार्सल दुकान दक्षिण मुखी नगर पंचायत संख्या 1/19 प्लॉट माप 11.43 वर्ग मीटर पर निर्मित मोह. ताड़तला/सैदमीर, कस्बा झिंझाना तहसील कैराना जिला शामली में स्थित है, सीमाएं नीचे हैं:- पूर्वः- विक्रेता की सीढ़ियां। पश्चिमः- विक्रेता की दुकान। उत्तरः विक्रेता की संपत्ति। दक्षिणः- रास्ता।	09/07/2024	रु. 472515 (रुपये चार लाख बहत्तर हजार पांच सौ पंद्रह मात्र) साथ में पुनर्भुगतान तक 21.5 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से अतिरिक्त ब्याज।
23	लालजी पटेल, सूरज कली ऋण राशिः रु.900000/- ऋण संख्याः HF/0044/H/21/100055	आराजी नं. 102, मौजा-तिलौरी विक्रमपुर, परगना-बिहार, तहसील-कुंडा, प्रतापगढ़ के भाग में स्थित वह मकान जिसका क्षेत्रफल 154.00 वर्ग मीटर है, जो निम्न प्रकार से घिरा हुआ है:- पूर्व 15 फिट रोड पश्चिमः मालिक की भूमि उत्तरः श्याम लाल का मकान दक्षिणः हरी लाल का मकान	09/07/2024	रु. 942379 (नौ लाख बयालीस हजार तीन सौ उनहत्तर मात्र) साथ में पुनर्भुगतान तक 17 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से अतिरिक्त ब्याज।

इसलिए आप उधारकर्ता/ओं और सह-उधारकर्ता/ओं/गारंटर से अनुरोध है कि आप इस नोटिस के 60 दिनों के भीतर ऊपर उल्लिखित ब्याज के साथ ऊपर उल्लिखित मांगी गई राशि का पूरा भुगतान करें, ऐसा न करने पर नीचे हस्ताक्षरकर्ता को उपरोक्त उल्लिखित सुरक्षा/सुरक्षाओं को लागू करने के लिए अधिनियम के तहत कार्रवाई करने के लिए बाध्य किया जाएगा। कृपया ध्यान दें कि अधिनियम की धारा 13(13) के अनुसार, इस बीच, आपको हमारी सहमति के बिना बिक्री, पट्टे या अन्यथा के माध्यम से उपरोक्त संदर्भित प्रतिभूतियों को स्थानांतरित करने से रोक दिया गया है।

स्थानः उत्तर प्रदेश
दिनांकः 17.07.2024

हस्ता/-प्राधिकृत अधिकारी
गृहम हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड,
(पूर्व में पूनावाला हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के नाम से जाना जाता था)

HDB एचडीबी फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड **कब्जा-सूचना**

पंजीकृत कार्यालयः राधिका, दूसरी मंजिल, लॉ गार्डन रोड, नवरंगपुरा, अहमदाबाद, गुजरात, पिन कोड 380009 शाखा कार्यालयः16/116 45-ए साई स्क्वायर, चतुर्थ तल भार्गव स्टेट, आयकर बिल्डिंग के सामने, सिविल लाइंस कानपुर-208001, उत्तर प्रदेश

जबकि, वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित अधिनियम, 2002 (2002 का 54) के तहत एचडीबी फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड के अधिकृत अधिकारी तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(12) के तहत प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग के तहत ऋणी/ओं जैसा कि नीचे दिया गया है, को मांग नोटिस जारी किया है, जिसमें उधारकर्ताओं से उक्त नोटिस में उल्लिखित राशि को नोटिस की प्राप्ति की तारीख से 60 दिनों के अंदर भुगतान की तारीख से लेकर वास्तविक तक सभी लागतों, शुल्कों और व्ययों के साथ चुकाने के लिए कहा गया है। उक्त ऋणी/सह-उधारकर्ता राशि का भुगतान करने में विफल रहे है। एतद्वारा ऋणी/सह-उधारकर्ता और आम जनता को यह नोटिस दिया जाता है कि उक्त नियमों के के नियम 8 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 13(4) के तहत उन्हें दी गई शक्तियों के प्रयोग में अधोहस्ताक्षरी ने साथ में वर्णित तिथि पर यहां वर्णित संपत्ति का सांकेतिक कब्जा कब्जा कर लिया है। उधारकर्ताओं को विशेष रूप से और आम तौर पर सार्वजनिक रूप से संपत्ति के साथ सौदा नहीं करने के लिए चेतावनी दी जाती है और संपत्ति के साथ कोई भी लेन-देन संबंधित तिथि से भावी ब्याज की राशि, लागत और शुल्क के साथ यहाँ विनिर्दिष्ट राशि एचडीबी फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड के प्रभार अधीन होगा। प्रतीकात्मक कब्जे में ली गई संपत्ति का विवरण नीचे दिया गया है।

1) ऋणी/सह-उधारकर्ता/गारंटर का नाम और पता, 2) ऋण खाता संख्या, 3) ऋण राशि, 4) मांग नोटिस की तिथिः 5) रुपये में दावा की गई राशि, 6) प्रतिभूतियों का विवरण, 7) कब्जे की तिथि

ऋणी/सह-उधारकर्ता का नामः 1. कौशलेश धर द्विवेदी- 870/101 रामपुरम श्याम नगर कानपुर-208013 उत्तर प्रदेश, 2. अनीता द्विवेदी 870/101 रामपुरम श्याम नगर कानपुर उत्तर प्रदेश-208013. ऋण खाता संख्या 1420111, 14043954, ऋण राशिः ऋण खाता संख्या 1420111 द्वारा रु. 22,40,743/- (रुपये बाईस लाख चालीस हजार सात सौ तैंतालीस मात्र) और ऋण खाता संख्या 14043954 द्वारा रु.3,67,000/- (तीन लाख सड़सठ हजार मात्र), डिमांड नोटिस की तारीखः 16-04-2024, दावा की गई राशि 10 अप्रैल 2024 तक रु.16,85,399. 34/-(सोलह लाख पचासी हजार तीन सौ निन्यानवे और चौंतीस पैसे मात्र) और वास्तविक वसूली तक भावी संविदात्मक ब्याज साथ में आकस्मिक खर्च, लागत और शुल्क आदि। एनपीए तिथिः 09-03-2024; प्रतिभूति का ब्यौराः देहली सुजानपुर कानपुर नगर में आराजी संख्या 870 में से प्लॉट संख्या 101 पर निर्मित मकान संख्या 870/101 का पूर्ण हिस्सा एवं अंश , माप- 200 वर्ग गज । इसकी सीमा इस प्रकार हैः उत्तर- आराजी संख्या 870 का हिस्सा, दक्षिण-40 फीट रोड, पूर्व- प्लॉट संख्या 100, पश्चिम-प्लॉट संख्या 102, प्रतीकात्मक कब्जे की तिथिः 10-7-2024

उधारकर्ता का ध्यान प्रतिभूति संपत्तियों को भुनाने के लिए, उपलब्ध समय के संबंध में, अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (8) के प्रावधानों के लिए आमंत्रित किया जाता है।

किसी भी प्रश्न के लिए कृपया श्री कुश कपूर-9838076150 एवं श्री विकास आनंद (9711010384) एचडीबी फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड से संपर्क करें।

स्थान : कानपुर, दिनांकः 16.07.2024 **हस्ता/- कृते एचडीबी फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड, अधिकृत अधिकारी**

kotak कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड **कब्जा सूचना**

पंजीकृत, पताः 27 बीकेसी, सी 27, जी ब्लॉक, बांद्रा कुरला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा (ई) मुंबई 400051, शाखा कार्यालयः कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड, 7वीं मंजिल, प्लॉट नंबर 7, सेक्टर- 125, डेल कैम्पस के पास, नोएडा, यूपी-201313,

वित्तीय संपत्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण और सुरक्षाहित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (2002 का 54) के तहत और सुरक्षा हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(12) के तहत प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में मांग नोटिस जारी किए गए। यहा दिए गए विवरण के अनुसार, संबंधित उधारकर्ताओं से उक्त नोटिस में उल्लिखित राशि को भुगतान की वास्तविक तिथि तक सभी लागतों, शुल्कों और व्ययों के साथ भुगतान की प्राप्ति की तारीख से 60 दिनों के भीतर चुकाने का आह्वान किया गया है।उक्त उधारकर्ता(ओं)/सह-उधारकर्ता(ओं) द्वारा राशि चुकाने में विफल रहने पर, उधारकर्ताओं/सह-उधारकर्ताओं और आम जनता को नोटिस दिया जाता है कि अधोहस्ताक्षरीने प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नीचे वर्णित संपत्ति पर कब्जा कर लिया है। उस पर उक्त अधिनियम की धारा 13(4) के तहत उक्त नियमों के आर/डब्ल्यू नियम 8 के साथ-साथ उल्लिखित तिथियों पर विशेष रूप से उधारकर्ताओं और सामान्य रूप से जनता को सावधान किया जाता है कि वे संपत्तियों के साथ लेनदेन न करें और संपत्तियों के साथ कोई भी लेनदेन कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड के शुल्क के अधीन होगा, जिसमें निर्दिष्ट राशि के लिए भविष्य के ब्याज, लागत और शुल्क शामिल होंगे।संबंधित तिथियां. सुरक्षित संपत्तियों को भुनाने के लिए उपलब्ध समय के संबंध में, उधारकर्ताओं का ध्यान अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (8) के प्रावधानों की ओर आकर्षित किया जाता है। उधारकर्ताओं का विवरण, अनुसूचित संपत्ति, बकाया राशि, धारा 13(2) के तहत भेजे गए डिमांड नोटिस और उसके तहत दावा की गई राशि, कब्जे की तारीख यहा नीचे दी गई है:

उधारकर्ता, सह-उधारकर्ता का नाम और पता, ऋण खाता संख्या, ऋण राशि	अचल संपत्ति का विवरण	1. कब्जे की तारीख 2. कब्जे का प्रकार 3. मांग सूचना की तिथि 4. बकाया राशि रु. में
राकेश राकेश पताः पिपरागौत आम अरवापुर बस्ती, बस्ती, उत्तर प्रदेश, 272124. और **अग्रहरि इंटरप्राइजेज पताः** पिपरा गौतम, बी लादी रोड, बस्ती, उत्तर प्रदेश बस्ती, उत्तर प्रदेश, 272124. और मोटी मोती **पताः** ग्राम पिपरा गौतम पोस्ट पिपरा गौतम पिकौरा जनूबी, बस्ती, बस्ती, उत्तर प्रदेश, 272124 **ऋण खाता संख्याः** P4J0PBL2790820 **ऋण राशिः** रु. 10,36,599/- (रुपये दस लाख छत्तीस हजार पांच सौ निन्यानवे मात्र)	अचल संपत्ति का वह पूरा टुकड़ा और पार्सल, संपत्ति संख्या 535, मी मौजा हथिया टप्पा, पिपरा परगना नगरपुरब, तहसील और जिला बस्ती यूपी **बंधककर्ता का नामः** राकेश	1. 12.07.2024 2. प्रतीकात्मक कब्जा 3. 29.12.2023 4. रु.12,28,337/- (रुपये बारह लाख अट्ठाईस हजार तीन सौ सैंतीस मात्र) 09.11.2023 तक देय और देय, 10.11.2023 से लागू ब्याज सहित पूर्ण भुगतान तक।
श्री अमिश कुमार पुत्र श्री राज देव एवं श्री राज देव एवं श्रीमती कृष्णा रानी एवं श्री रितेश राज सभी पते परः 76 संतपुर उर्फ गदहाखोर पोस्ट, पुरानी बस्ती, अकपांगी बस्ती उत्तर प्रदेश - 272002 **ऋण खाता संख्याः** P4J0PBD1977595 **ऋण राशिः** रु. 20,60, 199 /- (रुपये बीस लाख साठ हजार एक सौ निन्यानवे मात्र)	भाग आराजी संख्या 55 सा का वह पूरा टुकड़ा और पार्सल, ग्राम संतपुर/गदाहा खोर, परगना बस्ती ईएएस, तहसील और जिला बस्ती में स्थित है, जिसका क्षेत्रफल 254.00 वर्ग मीटर है। सीमा: पूर्वः प्यारे द्वारा बेचा गया तेजू का मकान, पश्चिम: 30' चौड़ी बिटुमिनस रोड, उत्तरः प्यारे द्वारा बेचा गया तेजू का मकान, दक्षिण: 12' चौड़ी खड़ंजा रोड **बंधककर्ता का नामः** श्री राज देव पुत्र श्री श्याम लाल	1. 12.07.2024 2. प्रतीकात्मक कब्जा 3. 23.01.2024 4. रु. 22,51,989.66/- (रुपये बाईस लाख इक्यावन हजार नौ सौ नवासी और छियासठ पैसे मात्र) 10.01.2024 तक देय और देय 11.01.2024 से लागू ब्याज के साथ पूर्ण भुगतान तक।
मनोज कुमार कसौधन और रीता देवी पताः खान काले, अमोरा खास, बस्ती, उत्तर प्रदेश, 272127 और रीता देवी खान काला, अमोरा खास, बस्ती, उत्तर प्रदेश, 272127 और सचिन बेकर्स **पताः** खानकला, 0, सीएच हवानी, हरैया, ए, बस्ती, उत्तर प्रदेश, 272127. **ऋण खाता संख्याः** P4J0PBL2095981 **ऋण राशिः** रु. 10,36,599/- (रुपये दस लाख छत्तीस हजार पांच सौ निन्यानवे मात्र)	संपत्ति का विवरणः अचल संपत्ति का वह पूरा टुकड़ा जो आराजी संख्या 126, एम.ई. परगना आमोद हा, ग्राम खानकला, बस्ती का हिस्सा है। **बंधककर्ता का नामः** रीता देवी	1.12.07.2024 2. प्रतीकात्मक कब्जा 3.29.12.2023 4 रु.11,38,640/- (ग्यारह लाख अड़तीस हजार छह सौ चालीस रुपये मात्र) 09.11.2023 तक देय और भुगतान योग्य, 10.11.2023 से पूर्ण भुगतान तक लागू ब्याज के साथ।

किसी भी प्रश्न के लिए कृपया श्री शैलेंद्र सिंह (+919811638929) और श्री अरविंदकुमार तिवारी (+919810698044) से संपर्क करें
दिनांकः 16.07.2024, **स्थानः** बस्ती, उत्तर प्रदेश

प्राधिकृत अधिकारी
कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड के लिए,

बुलंदशहर में व्यक्ति की पीट-पीटकर हत्या

बुलंदशहर, 15 जुलाई (जनसत्ता)।

मोबाइल फोन को लेकर हुए झगड़े के बाद कुछ लोगों ने एक व्यक्ति की पीट-पीटकर हत्या कर दी। पुलिस ने सोमवार को यह जानकारी दी। अनूपशहर के क्षेत्राधिकारी अनूप सिंह ने बताया कि 10 जुलाई को मोहित नामक युवक का मोबाइल फोन खुशहालगढ़ गांव में कहीं खो गया था। कुछ लोगों ने उसे बताया कि उसका मोबाइल फोन प्रभात के पास है। सिंह ने बताया कि इसलिए जब मोहित ने उससे इस बारे में बात की तो प्रभात ने फोन वापस देने से इनकार कर दिया और दोनों के बीच झगड़ा हो गया।

क्षेत्राधिकारी ने बताया कि जब मोहित पुलिस के पास पहुंचा तो प्रभात की मां नीरज देवी ने उसे फोन किया और कहा कि वह उनका फोन घर से ले जाए। उन्होंने बताया कि जब मोहित उनके घर पहुंचा तो प्रभात और उसके पिता मनोज से झगड़ा हो गया। मनोज कथित तौर पर शराब के नशे में थे। थाने में मौजूद अधिकारियों ने दोनों पक्षों के बीच समझौता कराने का प्रयास किया। इसके बाद 13 जुलाई को नीरज देवी वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक कार्यालय में उपस्थित हुईं और एक प्रार्थना पत्र दिया, जिसके आधार पर संबंधित धाराओं में मामला दर्ज किया गया। पुलिस ने बताया कि नीरज देवी ने अपनी शिकायत में आरोप लगाया है कि मोहित ने डंडे से उसके पति पर कई बार हमला किया। पुलिस ने बताया कि अस्पताल में उपचार के दौरान 14 जुलाई को मनोज की मौत हो गई।

मनोज के परिवार का आरोप है कि उस दिन हुई मारपीट के कारण उनकी मौत हुई। पुलिस ने बताया कि पोस्टमार्टम रपट से पता चला है कि मनोज की मौत दिल का दौरा पड़ने से हुई। उसने बताया कि सीओ ने पाया कि चौकी प्रभारी ने वरिष्ठ अधिकारियों को घटना की जानकारी नहीं दी, जिसके बाद उसे निलंबित कर दिया गया और जांच की जा रही है।

विद्यालय जा रहे छात्र के साथ मारपीट

बुलंदशहर, 15 जुलाई (जनसत्ता)। जिले के खानपुर थाना इलाके के तहत सोमवार को विद्यालय जा रहे बारहवीं कक्षा के छात्र के साथ मोटरसाइकिल सवार चार नकाबपोश लड़कों द्वारा मारपीट की गई। परवाना गांव का रहने वाला छात्र कशिश खिजरपुर गांव स्थित एक इंटर कालेज में बारहवीं कक्षा का छात्र है। सोमवार को वह अपने घर से विद्यालय जा रहा था। रास्ते में विद्यालय से थोड़ा पहले मोटरसाइकिल सवार चार नकाबपोश लड़कों ने उसके साथ मारपीट की। छात्र ने बताया वह परवाना का रहने वाला है और बारहवीं कक्षा का छात्र है। वह सुबह विद्यालय के निकला था। स्कूल से लगभग सौ मीटर पहले उसके साथ मारपीट की गई और गोली चलाई गई। उसका कोई पुराना विवाद नहीं है। स्याना के पुलिस क्षेत्राधिकारी भास्कर कुमार ने बताया सोमवार को थाना खानपुर के तहत खिजरपुर गांव से डायल 112 को काल आई जिसमें काल करने वाले राजकुमार वर्मा जो कि परवाना के रहने वाले हैं ने बताया उनका बेटा कशिश वर्मा खिजरपुर स्थित अपने विद्यालय जा रहा था। पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही है।

मुख्तार के बेटे उमर अंसारी की याचिका पर

सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार से मांगा जवाब

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 15 जुलाई।

दिवंगत बाहुबली मुख्तार अंसारी की मौत के तीन महीने बाद सुप्रीम कोर्ट ने उनके पुत्र उमर अंसारी की याचिका पर उत्तर प्रदेश सरकार को सोमवार को नोटिस जारी कर दिया। उमर ने आरोप लगाया है कि उसके पिता की मौत जेल में जहर दिए जाने के कारण हुई। उमर ने सुप्रीम कोर्ट से मुख्तार की मौत की वजह की जांच कराने का अनुरोध किया है। उमर की तरफ से वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने न्यायमूर्ति हृषिकेश राय और न्यायमूर्ति एसवीएन भट्टी की पीठ के समक्ष हिरासत में हुई मौत पर सवाल उठाया। सुनवाई के दौरान सिब्बल ने कहा कि आरोप है कि मुख्तार को जेल में जहर दिया गया। इसकी जांच जरूरी है। सिब्बल ने कहा कि उन्होंने इससे पहले मुख्तार अंसारी को बांदा जेल में जान का खतरा होने का अंदेशा जताते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था।

सार्वजनिक सूचना

भारतीय रिजर्व बैंक, कानपुर द्वारा एनबीएफसी व्यवसाय करने के लिए कंपनी मेसर्स **श्री महाबीर मैनेजमेंट सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड** के पक्ष में जारी प्रमाण पत्र संख्या बी.12.00508 जिसका पंजीकृत कार्यालय सी/ओ, आलोक कुमार अग्रवाल, आर.एस. एंटरप्राइजेस, शाही मार्केट फेज 2, सिनेमा रोड, गोरखपुर, यूपी-273001 में है, खो गया है। यदि किसी को यह मिल जाए तो इसे कंपनी को वापस किया जा सकता है और जनता को बेईमान तत्वों द्वारा उपर्युक्त प्रमाण पत्र के दुरुपयोग के खिलाफ चेतावनी दी जाती है।

कृते श्री महाबीर मैनेजमेंट सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड
स्थानः गोरखपुर हस्ता./- पीयूष कुमार गोयनका
दिनांकः 15.07.2024 निदेशक

pnb Housing Finance Limited पंजीकृत कार्यालय : 9वां तल, अंतरिक्ष भवन, 22, के.जी. मार्ग, नई दिल्ली-110001, दूरभाष सं: 011-23357171, 23357172, 23705414, वेबसाइट : www.pnbhousing.com

शाखा पता : : प्रथम तल, आर्य नगर, ज्वालापुर, हरिद्वार - 249407, उत्तराखंड

तिथि के अनुसार संशोधित प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 3(1) के साथ पठित वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के अध्याय III की धारा 13(2) के अंतर्गत सूचना

हम, पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड (यहां इसके इसके बाद 'पीएनबीएचएफएल' के रूप में संदर्भित) ने वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 [illegible] की धारा 13(2) के अंतर्गत, हमारी हरिद्वार शाखा [illegible] प्रथम तल, आर्य नगर, ज्वालापुर, हरिद्वार - 249407, उत्तराखंड में स्थित है, के माध्यम से मांग सूचना निर्गत की थी [illegible] [illegible]

क्र सं	ऋण खाता संख्या	उधारकर्ता एवं सह-उधारकर्ता का नाम एवं पता	गारंटर का नाम एवं पता	बंधककृत संपत्ति	मांग सूचना की तिथि	मांग सूचना तिथि के अनुसार बकाया राशि
1.	HOU/HWR/ 1019/752721 बी.ओ.: हरिद्वार	राजेश कुमार और सरस्वती देवी, पता- 1 - सीतापुर, हरिद्वार, शिव मंदिर के पास सीतापुर, हरिद्वार, उत्तराखंड - 249407, पता 2 -1, मझोपुर मोपुर, पिपराइच, गोरखपुर उत्तर प्रदेश - 273001, पता 3- मैसर्स राजेश ट्रेडिंग कंपनी, शॉप नंबर 4, नई सब्जी मंडी, सीतापुर ज्वालापुर, हरिद्वार, उत्तराखंड - 249407, पता 4 - प्लाट 9 के हिस्से पर आवासीय मकान, खसरा नंबर 312 और 313, गांव ज्वालापुर, परगना ज्वालापुर, तहसील और जिला हरिद्वार, यू.के. - 249407 में स्थित है।	एन.ए	प्लाट 9 के हिस्से पर आवासीय मकान, खसरा नंबर 312 और 313, गांव ज्वालापुर, परगना ज्वालापुर, तहसील और जिला हरिद्वार, उत्तराखंड-249407 में स्थित।	13-06-2024	रु. 14,88,605.49 (रुपये चौदह लाख अट्ठासी हजार छह सौ पांच और उनचास पैसे मात्र) 13/06/2024 के अनुसार बकाया

स्थान : हरिद्वार / दिनांक : 15-07-2024 प्राधिकृत अधिकारी, पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड

pnb Housing Finance Limited Ghar Ki Baat

परिशिष्ट -4-क
अचल सम्पत्ति(यों) की ई-नीलामी बिक्री सूचना
वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के साथ पठित प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 8(6) के परंतुक के तहत अचल आस्तियों की बिक्री हेतु ई-नीलामी बिक्री सूचना

पंजीकृत कार्यालयः- 9वीं मंजिल, अंतरिक्ष भवन, 22 कस्तूरबा गांधी मार्ग, नई दिल्ली-110001, फोन:-011-23357171, 23357172, 23705414, web:- www.pnbhousing.com
लखनऊ शाखा:-लखनऊ शाखा-पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड, 307 और 308, तृतीय तल, कमर्शियल कॉम्प्लेक्स, साइबर हाइट्स, विभूति खंड गोमती नगर लखनऊ -226010.

इसके द्वारा सामान्य रूप से जनता को और विशेष रूप से कॉलम संख्या-ए में दर्शाए गए उधारकर्ता(ओं) और गारंटर(ओं) को नोटिस दिया जाता है कि कॉलम संख्या-डी में वर्णित नीचे वर्णित अचल संपत्ति सुरक्षित के पास गिरवी/चार्ज की गई है। लेनदार, जिसका रचनात्मक/भौतिक कब्जा मेसर्स पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड/सिक्योर्ड क्रेडिटर के अधिकृत अधिकारी द्वारा लिया गया है (जैसा कि कॉलम संख्या-सी में वर्णित है), "जैसा है जहां है, जैसा है जो है" के आधार पर बेचा जाएगा। नीचे उल्लिखित विवरण के अनुसार "है और जो कुछ भी है उसका आधार है"। इसके द्वारा संबंधित के उधारकर्ता(ओं)/बंधककर्ता(ओं)/कानूनी उत्तराधिकारियों, कानूनी प्रतिनिधि, (चाहे ज्ञात हो या अज्ञात), निष्पादक(ओं), प्रशासक(यों), उत्तराधिकारी(यों), समनुदेशिती(ओं) को नोटिस दिया जाता है। उधारकर्ता/बंधककर्ता(ओं) (मृत्यु के बाद से) को आज की तारीख में संशोधित सुरक्षा हित प्रवर्तन नियम, 2002 के नियम -8(6) और 9 के तहत कॉलम संख्या-ए में दर्शाया जा सकता है।
बिक्री के विस्तृत नियमों और शर्तों के लिए, कृपया मेसर्स पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड/सुरक्षित लेनदार की वेबसाइट यानी www.pnbhousing.com पर दिए गए लिंक को देखें।

ऋण संख्या, कर्जदार/सह-कर्जदार का नाम गारंटर (स) (ए)	मांग सूचना मांग की राशि और तारीख (बी)	कब्जा का प्रकार (सी)	बंधक रखी सम्पत्तियों का विवरण (डी)	आरक्षित मूल्य (आरपी) (ई)	ईएमडी (आरपी का 10%) (एफ)	बोली प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि (जी)	बोली वृद्धि राशि (एच)	निरीक्षण की तिथि एवं समय (आई)	नीलामी की तिथि एवं समय (जे)	ज्ञात ऋणभार/न्यायालय मामला यदि कोई, (के)
00106700002797, बी.ओ. लखनऊ, रोहतास प्रोजेक्ट्स लिमिटेड, 1-श्री परेश रस्तोगी, 2-पीयूष रस्तोगी, 3-पंकज रस्तोगी, 4-दीपक रस्तोगी	05.06.2018 तक रु. 63,04,564.31	भौतिक कब्जा	ब्लॉक जी में फ्लैट नंबर 103, जिसका माप 121.52 वर्ग मीटर है (सुपर एरिया) "प्लूमेरिया होम्स" नामक बिल्डिंग में पहली मंजिल पर, प्लॉट नंबर टीसीजी -3/3 पर स्थित है। विभूति खंड, गोमती नगर, लखनऊ उत्तर प्रदेश, भूमि में अविभाजित आनुपातिक हिस्सा लगभग 30.38 वर्ग मीटर है।	रु. 5562000	रु. 556200	30.07.2024	रु. 20,000	20.07.2024, पूर्वा 10:00 बजे से अप. 5:30	31.07.2024 अप.12.30 बजे से अप. 2:30	Unknown

"उसके भुगतान तथा/अथवा वसूली की तिथि तक लागू अनुसार 18 प्रतिशत वार्षिक की दर पर भावी ब्याज, उपगत किए गए अनुषंगी खर्चों, लागत, प्रभारों इत्यादि सहित।" "पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के प्राधिकृत अधिकारी के सर्वश्रेष्ठ ज्ञान और जानकारी के अनुसार, उपरिवर्णित अचल/प्रतिभूत आस्तियों के संबंध में कोई अन्य ऋणभार/दावे नहीं हैं, सिवाय उनके जो कालम नंबर-के में वर्णित किए गए हैं। इसके अतिरिक्त इन ऋणभारों का भुगतान/अदायगी सफल क्रेता/बोलीदाता द्वारा उसकी अपनी व्यवस्था द्वारा की जाएगी। सफल क्रेता(ओं)/बोलीदाताओं से वर्णित ऋणभारों की सत्यता का अभिनिश्चयन स्वतंत्र रूप से करने का अनुरोध किया जाता है।
1. आज की तिथि तक, पीएनबीएचएफएल/पीएनबीएचएफएल के प्राधिकृत अधिकारी पर उपरोक्त अचल सम्पत्तियों/प्रतिभूत आस्तियों की बिक्री, हस्तांतरण तथा/अथवा निपटान के संबंध में कोई प्रतिबंध आदेश तथा/अथवा न्यायालय निषेधादेश लागू नहीं है।
2. संभावित क्रेता/बोलीदाता तथा इच्छुक पार्टियां कालम नंबर-के में वर्णित, कार्यवाही/पारित आदेश इत्यादि, यदि कोई, में बसस, जिसमें पीएनबीएचएफएल के पास उपलब्ध उसके स्वामित्व के साथ संबंधित दस्तावेजों का शीर्षक शामिल है परंतु उसी तक सीमित नहीं है, का निरीक्षण स्वतंत्र रूप से कर सकती हैं तथा सभी संदर्भों में अपनी संतुष्टि अपनी निविदा/बोली आवेदन प्रस्तुत करने अथवा ऑफर(रों) प्रस्तुत करने से पहले कर सकती हैं। बोलीदाता(ओं) को बोली प्रपत्र के साथ इस नीलामी के नियमों और शर्तों पर हस्ताक्षर करने होंगे।
3. कृपया ध्यान दें कि प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 9(3) के अनुसार, बोलीदाता/खरीदार कानूनी रूप से बिक्री मूल्य की राशि का 25 (ब्याना सहित) जमा करने के लिए बाध्य है। पैसा, यदि कोई हो, जमा किया गया) उसी दिन या अगले कार्य दिवस की तुलना में बाद में नहीं। सुरक्षा ब्याज (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 9(2) के अनुसार सुरक्षित लेनदार द्वारा बिक्री मूल्य के 25 प्राप्त करने के बाद ही (बोली लगाने वाले) के पक्ष में बिक्री की पुष्टि की जा सकती है। शेष 75 बिक्री पुष्टि पत्र की पावती की तारीख से 15 दिनों के भीतर क्रेता द्वारा बिक्री प्रतिफल राशि जमा करनी होगी और इस तरह की जमा राशि के डिफ़ॉल्ट होने पर, संपत्ति/सुरक्षित संपत्ति को फिर से बेचा जाएगा।
4. सी 1 इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ई-नीलामी के माध्यम से बिक्री संचालन में प्राधिकृत अधिकारी कार्पोरेट कार्यालय पता : प्लॉट नंबर 68, तृतीय तल, सेक्टर-44, गुरुग्राम, हरियाणा-122003 वेबसाइट - www.bankeauctions.com सहायता करेगी। संपत्ति के निरीक्षण या बोली दस्तावेज प्राप्त करने और किसी अन्य प्रश्न या पंजीकरण से संबंधित किसी भी सहायता के लिए, पीएनबीएचएफएल प्राधिकृत अधिकारी अनुपम त्रिपाठी संपर्क नंबर 1800 120 8800, या सी 1 इंडिया प्राइवेट लिमिटेड अथवा www.pnbhousing.com पर देखें

स्थान : लखनऊ दिनांक : 16.07.2024 प्राधिकृत अधिकारी, पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड

ADITYA BIRLA CAPITAL

आदित्य बिड़ला हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालयः इंडियन रेयॉन कंपाउंड, वेरावल, गुजरात - 362266
कॉर्पोरेट कार्यालयः जी कॉर्पोरेशन टेक पार्क, 8वी मंजिल कासर वडावली, घोड़बंदर रोड, ठाणे-एमएच 400601

मांग सूचना (सुरक्षा हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 3 (1) के तहत)
प्रतिभूतिकरण और वित्तीय परिसंपत्तियों की गणना और सुरक्षा ब्याज अधिनियम, 2002 की धारा 13 (2) के तहत नोटिस की प्रतिस्थापन सेवा।

जैसा कि नीचे उल्लेख किया गया है, उधारकर्ताओं को नोटिस दिया जाता है कि उन्होंने आदित्य बिड़ला हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड (एबीएचएफएल) से प्राप्त क्रेडिट सुविधा के पुनर्भुगतान में चूक की है, इसलिए उनके ऋण खातों को की पुस्तकों में गैर-निष्पादित परिसंपत्तियों के रूप में वर्गीकृत किया गया है। कंपनी आरबीआई दिशानिर्देशों के अनुसार इसके बाद, (एबीएचएफएल) ने उक्त उधारकर्ताओं के अंतिम ज्ञात पते पर वित्तीय संपत्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण और सुरक्षा हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (सरफेसी अधिनियम) की धारा 13 (2) के तहत मांग नोटिस जारी किए हैं। इस प्रकार उनसे आह्वान किया जाता है और उनसे मांग की जाती है कि वे उक्त राशि पर संविदात्मक दर पर अतिरिक्त ब्याज और प्रासंगिक खर्चों, लागत, शुल्क आदि के साथ पूरी बकाया राशि चुकाएं, जैसा कि उक्त मांग नोटिस में बताया गया है। हालांकि, डिमांड नोटिस भी है सुरक्षा हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 (सरफेसी नियम) के नियम 3 के अनुसार, प्रकाशन के माध्यम से प्रस्तुत किया जा रहा है:

क्रं. सं.	उधारकर्ता/सह-उधारकर्ता और गारंटर/सह-गारंटर के नाम तथा पता और ऋण खाता संख्या	एनपीए की तिथि	मांग सूचना की तिथि	डिमांड नोटिस के अनुसार/तिथि के अनुसार देय राशि
1	1. नदीम अहमद सिद्दीकी फ्लैट नंबर ए-105, प्रथम तल, रॉयल एस्टेट, 4ए/जीएच-01, वार्ड-इब्राहिमपुर, वृंदावन योजना-2, भाग-1, रायबरेली रोड, जिला-लखनऊ, उत्तर प्रदेश-226017 पर स्थित 2. शादाब अहमद सिद्दीकी फ्लैट नंबर ए-105, प्रथम तल, रॉयल एस्टेट, 4ए/जीएच-01, वार्ड-इब्राहिमपुर, वृंदावन योजना-2, भाग-1, रायबरेली रोड, जिला-लखनऊ, उत्तर प्रदेश-226017 पर स्थित 3. बिजनेस इंडिया कॉरपोरेशन फ्लैट नंबर ए-105, प्रथम तल, रॉयल एस्टेट, 4ए/जीएच-01, वार्ड-इब्राहिमपुर, वृंदावन योजना-2, भाग-1, रायबरेली पर स्थित रोड, जिला-लखनऊ, उत्तर प्रदेश-226017 4. अदीम अहमद सिद्दीकी एच-273, ए डब्ल्यू एचओ कॉलोनी त्यागी विहार, बंगला बाजार के पास, लखनऊ छावनी, दिलकुशा, बख्शी का तालाब, लखनऊ, उत्तर प्रदेश-226002 5. शादएबी अहमद सिद्दीकी एच-273, ए डब्ल्यू एचओ कॉलोनी त्यागी विहार, बंगला बाजार के पास, लखनऊ छावनी, दिलकुशा, बख्शी का तालाब, लखनऊ, उत्तर प्रदेश-226002 6. बिजनेस इंडिया कॉरपोरेशन एच-273, ए डब्ल्यू एचओ कॉलोनी त्यागी विहार, बंगला बाजार के पास, लखनऊ छावनी, दिलकुशा, बख्शी का तालाब, लखनऊ, उत्तर प्रदेश-226002 7. बिजनेस इंडिया कॉरपोरेशन एम 48, तृतीय तल, विकास दीप बिल्डिंग, स्टेशन रोड, लखनऊ, उत्तर प्रदेश- 8. अदीम अहमद सिद्दीकी सी/ओ बिजनेस इंडिया कॉरपोरेशन एम48, तृतीय तल, विकास दीप बिल्डिंग, स्टेशन रोड, लखनऊ, उत्तर प्रदेश- ऋण खाता संख्या lnlUchl_-03180039981 और lnlUchl_-03180041232	04.07.2024	10.07.2024	रु. 76,29,213.27/- (रुपये छिहत्तर लाख उनतीस हजार दो सौ तेरह और सत्ताईस पैसे मात्र) बकाया मूलधन, बकाया (उपार्जित विलम्ब शुल्क सहित) और ब्याज के रूप में 10.07.2024 तक।

अचल संपत्ति का विवरण) बंधक संपत्तिः फ्लैट संख्या ए-105, प्रथम तल, 'रॉयल एस्टेट' का वह पूरा हिस्सा, जिसका सुपर एरिया लगभग 155.41 वर्ग मीटर (1672.71 वर्ग फीट) है, जिसमें निर्मित/आच्छादित क्षेत्र लगभग 118.65 वर्ग मीटर, सामान्य क्षेत्र का आनुपातिक हिस्सा और आवासीय इकाई से संबंधित सुविधाएं शामिल हैं, 4ए/जीएच-01, वार्डः इब्राहिमपुर, वृंदावन योजना-2, भाग-1, रायबरेली रोड, जिलाः लखनऊ, उत्तर प्रदेश-226017 में स्थित है, और इसकी सीमा इस प्रकार हैः पूर्वः आकाश की ओर खुला, पश्चिमः 8 फीट चौड़ा मार्ग, उत्तरः फ्लैट संख्या ए-104, दक्षिणः सीढ़ी

हम यहां बताए गए उधारकर्ता से इस नोटिस की तारीख से 60 दिनों के भीतर हमें बकाया राशि (राशि) और उस पर अतिरिक्त ब्याज और लागत, शुल्क, खर्च आदि का भुगतान करने के लिए कहते हैं, ऐसा न करने पर हम स्वतंत्र होंगे, सुरक्षा हित को लागू करें, जिसमे लागत और परिणाम के अनुसार पूरी तरह से अपने जोखिम पर सुरक्षित संपत्ति पर कब्जा करने और बेचने तक सीमित है।
कृपया ध्यान दें कि सरफेसी अधिनियम की धारा 13(13) के अनुसार, आप सभी को कंपनी की पूर्व लिखित सहमति के बिना उपरोक्त सुरक्षित संपत्तियों को बिक्री, पट्टे या अन्यथा स्थानांतरित करने से प्रतिबंधित किया गया है। आपके द्वारा उक्त धारा का कोई भी उल्लंघन दंडात्मक प्रावधानों को लागू करेगा सरफेसी अधिनियम की धारा 29 और/या इस संबंध में किसी अन्य कानूनी प्रावधान के तहत निर्धारित।
कृपया ध्यान दें कि अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (8) के अनुसार, यदि एबीएचएफएल द्वारा किए गए सभी लागतों, शुल्कों और खर्चों के साथ एबीएचएफएल का बकाया बिक्री या हस्तांतरण के लिए निर्धारित तिथि से पहले किसी भी समय एबीएचएफएल को प्रस्तुत किया जाता है, सुरक्षित संपत्ति एबीएचएफएल द्वारा बेची या हस्तांतरित नहीं की जाएगी, और एबीएचएफएल द्वारा उस सुरक्षित संपत्ति के हस्तांतरण या बिक्री के लिए कोई और कदम नहीं उठाया जाएगा।

दिनांकः 16.07..2024
स्थानः लखनऊ

हस्ता/-प्राधिकृत अधिकारी
(आदित्य बिड़ला हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड)

कैदी की अस्पताल में मौत

हापुड़, 15 जुलाई (जनसत्ता)।

डासना जेल में बंद कपूरपुर थाना क्षेत्र के गांव के विचाराधीन कैदी की दिल्ली स्थित अस्पताल में उपचार के दौरान मौत हो गई। सूचना पर स्वजन में कोहराम मच गया। मृतक को कपूरपुर पुलिस ने एक मामले में कार्रवाई कर जेल भेजा था।

गांव सालेपुर कोटला के रहीस को इसी वर्ष फरवरी माह में दो पक्षों में किसी बात को लेकर हुए विवाद में पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेजा था। उसके बाद से ही आरोपित डासना जेल में बंद था। 28 जून को उसकी जेल में ही अचानक तबीयत बिगड़ गई। हालत गंभीर देख जेल के चिकित्सकों ने उसे दिल्ली के जीटीबी अस्पताल के लिए रेफर किया था, तभी से वहां उसका उपचार चल रहा था। रात्रि में उपचार के दौरान मौत हो गई।

सड़क हादसे में दो लोगों की गई जान

मथुरा, 15 जुलाई (जनसत्ता)।

दोस्त की शादी में स्कार्पियो से जा रहे दोस्तों की गाड़ी यमुना एक्सप्रेस-वे पर अनियंत्रित हो कर पलट गई। रविवार की रात हुए इस हादसे में दो लोगों की मौत हो गई जबकि एक अन्य की हालत गंभीर है जिसे उपचार के लिए रेफर किया गया है। थाना प्रभारी शैलेंद्र सिंह ने बताया कि यमुना एक्सप्रेस वे पर हादसे में प्रियांशु व कैफ की मौत हो गई। दोनों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। हादसा यमुना एक्सप्रेस-वे के माइल स्टोन 65 के पास हुआ। अनियंत्रित कार यहां डिवाइडर से टकरा गई। यहां 13 वर्षीय कैफ ने दम तोड़ दिया। 5 घायलों को सीएचसी ले जाया गया। यहां डाक्टरों ने 30 वर्षीय प्रयांशु को मृत घोषित कर दिया।